वर्ष 2016 हेतु हस्तशिल्प कारीगरों के लिए पुरस्कार योजनाएँ

1. पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :

हस्तशिल्प पुरस्कार नामश: शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र देश में हस्तशिल्प कारीगरों के लिए सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है।

इसका उद्देश्य उत्कृष्ट कारीगरों को शिल्पकारिता में श्रेष्ठता बनाए रखने और हमारी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहन हेतु पहचान प्रदान करना है।

2. पुरस्कारों की श्रेणी :

क) शिल्प गुरु
ख) राष्ट्रीय पुरस्कार
ग) राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र
घ) डिजाइन नवीनता पुरस्कार

3.1 शिल्प गुरु :

शिल्प गुरु पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 के दौरान "भारत में हस्तशिल्प पुनरुत्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष" के अवसर पर की गई थी और ये शिल्प के संवर्धन, उक्त के प्रचार और उनके कौशल स्तर के आधार पर कार्य के लिए 10 सिद्धहस्तशिल्पियों को दिए जाते हैं। हस्तशिल्प के ये उच्चतम पुरस्कार इस स्तर पर शिल्प वार या किसी अन्य मानदंड पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते है।

3.2 शिल्प गुरु की पात्रता :

भारत का कोई भी सिद्धहस्तशिल्पी जो असाधारण स्तर या विशिष्ट कौशल युक्त राष्ट्रीय पुरस्कृत या राज्य पुरस्कृत सिद्धहस्तशिल्पी हो और जिसने हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो तथा **पिछले वर्ष 31 दिसंबर को जिसकी आयु 50 वर्ष से कम न हो और इस क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव रखता हो इस पुरस्कार हेतु पात्र है** बशर्ते उन्होंने अपने कौशल स्तर द्वारा उक्त हेतु शिल्प प्रसार को बढ़ावा देने के लिए असाधारण योगदान दिया हो।

3.3 पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मदें :

प्रत्येक पुरस्कार में 2.00 लाख रूपए का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण सिक्का, एक शॉल, एक प्रमाणपत्र और एक ताम्रपत्र शामिल होगा।

4.1 राष्ट्रीय पुरस्कार :

राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1965 में संस्थापित किए गए थे जिनसे 33 शिल्पियों को शिल्प के विकास में उनके विशिष्ट योगदान की पहचान के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह सिद्धहस्तशिल्पी को शिल्प के संवर्धन, उक्त के प्रसार तथा उनके कौशल स्तर के लिए भी दिया जाएगा।

इन 33 पुरस्कारों में से, 5 पुरस्कार महिला कारीगरों के लिए, 3 पुरस्कार सह-सृजन आधार पर डिजाइन नवीनता के लिए और 5 पुरस्कार लुप्तप्राय शिल्पों के संवर्धन एवं विकास के लिए हैं।

4.2 शेष 20 राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न शिल्पों के लिए चिन्हित है :

क्रमांक	विवरण	पुरस्कारों की संख्या
1.	बिदरी कार्य सहित धातु पात्र	01
2.	लकड़ी का कार्य	01
3.	बेंत एवं बांस एवं अन्य वन आधारित उत्पाद	01
4.	पत्थर के पात्र	01
5.	पॉटरी, सेरेमिक और टेराकोटा	01
6.	चित्रकारी	01
7.	आभूषण एवं कीमती धातु कार्य	01
8.	पापिए माशे शिल्प और पेपर शिल्प	01
9.	चमड़ा शिल्प	01
10.	हस्त ठप्पा छपाई, टाई एंड डाई, एप्लीक कार्य, क्विलटिंग और पैच कार्य सहित वस्त्र	01
11.	कशीदाकारी और ज़री/जरदोजी कार्य	01
12.	लेस कार्य, क्रोशिए की वस्तुएँ और ब्रेडिंग	01
13.	हस्तनिर्मित कालीन/ फर्श बिछावन	01
14.	रग्स और दरियाँ	01
15.	ग्लास कार्य	01
16.	खिलौने और गुड़िया, कठपुतली, खेल और पतंगें	01
17.	हड्डी, शंख और शेल	01
18.	वादय यंत्र	01
19.	विविध शिल्प	02
	कुल	**20**

4.2.1 शिल्पों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की पात्रता :

भारत में रहने वाला सिद्ध हस्तशिल्पी जिसने पिछले वर्ष की 31 दिसंबर को 30 वर्ष पूरे कर लिए हों और हस्तशिल्प के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव हों।

4.2.2 पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मदें :

प्रत्येक पुरस्कार में 1.00 लाख रुपए नकद, एक शॉल, एक प्रमाणपत्र और एक ताम्रपत्र शामिल होगा।

4.3 डिजाइन नवीनता पुरस्कार

यह पुरस्कार सह-सृजन आधार पर डिजाइनर एवं कारीगर दोनों को प्रदान किया जाएगा। कारीगर की आयु के मानदंड तथा अनुभव राष्ट्रीय पुरस्कार के समान ही होगा आर्थर 30 वर्ष या उससे ऊपर तथा 10 वर्षों का अनुभव।

4.3.1 पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मदें :

डिजाइन नवीनता पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के लिए क्रमश: 10.00 लाख रुपए, 8.00 लाख रुपए और 6.00 लाख रुपए होगा जो डिजाइनर और कारीगर के मध्य समान रूप से बांटा जाएगा।

5.1 राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र :

राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र वर्ष 1967 में संस्थापित किए गए थे और 40 सिद्धहस्तशिल्पियों को उनके कार्य, शिल्प के संवर्धन में किए गए कार्य, उक्त के प्रसार तथा उनके कौशल स्तर हेतु पहचान प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा।

5.2 राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र पुरस्कार की पात्रता :

भारत में रहने वाला सिद्ध हस्तशिल्पी जिसने पिछले वर्ष की 31 दिसंबर को, 30 वर्ष पूरे कर लिए हो और हस्तशिल्प के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव हों।

5.3 पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मदें :

प्रत्येक पुरस्कार में 75,000/- रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रमाणपत्र होगा।

टिप्पणी : शिल्पी एक शिल्प में जीवन भर में केवल एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार या राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। तथापि, मौजूदा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन करने के पात्र है।

6. चयन प्रक्रिया :

चयन प्रक्रिया 3 स्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से होगी।

6.1 प्रथम स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा। समिति का संघटन निम्न प्रकार से है :

1. हस्तशिल्प/ संबंधित क्षेत्र के राज्य के कुटीर उद्योग के निदेशक	-	अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय	-	संयोजक
3. निफ्ट से सम्मानित शिल्प विशेषज्ञ	-	सदस्य
4. निड (एनआईडी) से सम्मानित शिल्प विशेषज्ञ	-	सदस्य

6.2 चयन के **दूसरे स्तर पर मुख्यालय स्तर चयन समिति** होगी। समिति का संघटन निम्न प्रकार से है :

1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	-	अध्यक्ष
2. अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)/निदेशक/ वरिष्ठ निदेशक या समकक्ष	-	संयोजक
3. निड (एनआईडी) से प्रतिनिधि	-	सदस्य
4. निफ्ट से प्रतिनिधि	-	सदस्य
5. वरिष्ठ निदेशक, एनएचएचएम	-	सदस्य

6.3 तीसरी एवं अंतिम स्तर की चयन समिति केंद्रीय स्तर चयन समिति होगी। समिति का संघटन निम्न प्रकार से है :

1. सचिव (वस्त्र)	-	अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	-	संयोजक
3. विकास आयुक्त (हथकरघा)	-	सदस्य
4. प्रबंध निदेशक, सीसीआईसी, नई दिल्ली	-	सदस्य
5. प्रबंध निदेशक, एचएचईसी, नई दिल्ली	-	सदस्य
6. महानिदेशक, निफ्ट, नई दिल्ली	-	सदस्य
7. हस्तशिल्प क्षेत्र से तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञ	-	सदस्य

7. प्रविष्टियां देने की प्रक्रिया :

7.1 शिल्प संकेंद्रित क्षेत्रों की स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे जिसमें शिल्पियों/ सम्मानित संगठनों द्वारा प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय दिया जाएगा। शिल्पी अपनी प्रविष्टियां अपने राज्यों के उद्योग निदेशालयों/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों को भेज सकते हैं।

7.2 इस अवधि में सिद्धहस्तशिल्पियों द्वारा सभी प्रविष्टियां, निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रुप से भरते हुए आवेदन तथा शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि यह मद उनके द्वारा तैयार की गई है, के साथ, देनी होगी तथा एक और शपथ-पत्र जिसमें यह आश्वासन दिया गया हो कि वह अपने जोखिम पर प्रविष्टि जमा करवा रहा/रही है और यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रविष्टि को लाने-ले जाने के दौरान नुकसान आदि के मामले में, केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

7.3 यह भी बताया गया है कि चूंकि चयन प्रक्रिया में लम्बे समय तक शिल्पियों की जमाराशि अवरुद्ध हो जाती है इसलिए वे अपनी श्रेष्ठ कृति भेजने में सक्षम नहीं होते हैं जिसके परिणामस्वरुप, शिल्पियों की श्रेष्ठ कला राष्ट्रीय पुरस्कारों के चयन हेतु नहीं पहुंच पाती है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि चयन के प्रत्येक स्तर पर विपणन संगठनों, सार्वजनिक या निजी (निगमों/ को-ऑपरेटिव्स/निजी ट्रेडर्स, निर्यातक, बुटिक आदि) द्वारा प्रविष्टियों को प्रायोजित करने की अनुमति होगी। पुरस्कार उस शिल्पी को दिया जाएगा जिसने वह मद बनाई है।

क. केंद्रीय/राज्य निगम/ क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रायोजित सभी प्रविष्टियाँ निर्धारित समय के भीतर संबंधित क्षेत्रीय स्तर चयन समिति को भेजी जाएंगी।

ख. सम्मानित संगठन अर्थात एनएचएचएम, सीसीआईसी, एनसीडीपीडी, ईपीसीएच, सीईपीसी, निफ्ट, निड, एचएचईसी, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया और क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगमें भी राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए आवेदकों की सिफारिश कर सकती है और उनकी सिफ़ारिशें क्षेत्रीय स्तर चयन समिति को भेजी जाएंगी किन्तु निर्धारित समय के भीतर।

8. चयन प्रक्रिया :

8.1 कार्यालय नामशः हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र, डी आई सी, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय जो पुरस्कार स्पर्धा में शिल्पियों द्वारा आवेदन तथा प्रविष्टियां प्राप्त करने के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, वे पुरस्कार हेतु प्रतिभागियों द्वारा जमा कराए गए सभी दस्तावेजों की सम्पूर्ण संवीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे और आवेदनकर्ताओं की वास्तविकता की भौतिक पुष्टि के लिए भी अपेक्षित श्रम करेंगे।

8.2 आवेदकों के ब्यौरे जो मौजूदा राज्य पुरस्कृत तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक हैं या जो मौजूदा पुरस्कृतों के परिवार से संबंध रखते हैं को भली-भांति जांचने की आवश्यकता है विशेषकर यह जांचने के लिए कि क्या आवेदक पुरस्कार के लिए जमा की गई मद को बनाने के लिए आवश्यक शिल्पकला में पारंगत हैं। यह जांच प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रीय स्तर चयन समितियों की बैठकों के आयोजन से काफी पहले आरम्भ करके पूरी की जानी होगी।

8.3 संबंधित क्षेत्रीय स्तर चयन समिति के संयोजक प्रविष्टियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी करेंगे और तत्काल क्षेत्रीय स्तर चयन समिति का संयोजन करेंगे ताकि 30 दिनों के भीतर उनकी सिफारिशें पूरी हो जाएँ।

8.4 क्षेत्रीय निदेशक मुख्यालय स्तर चयन समिति को भेजने से पहले सभी प्रविष्टियों के इलेक्ट्रोनिक प्रलेखीकरण का कार्य पूरा करेंगे।

8.5 क्षेत्रीय स्तर चयन समिति प्रत्येक आवेदक को अंक प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष मानदंड अपनाएगी। प्रत्येक आवेदक के सामने सिफारिश और निरस्त किए जाने के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है और इसे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाए।

8.6 संबंधित क्षेत्रीय स्तर चयन समितियों द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के शीघ्र पश्चात, इन समितियों के संयोजक नामशः क्षेत्रीय निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय केवल उन कारीगरों के आवेदनों/प्रविष्टियों के संबंध में एक अन्य जांच प्रक्रिया शुरु करेंगे जिन्हें संबंधित क्षेत्रीय स्तर चयन समितियों द्वारा चुना गया है।

8.7 इस जांच प्रक्रिया के दौरान, यदि किसी विसंगति का पता चलता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे संबंधित क्षेत्रीय स्तर चयन समितियों के ध्यान में लाया जाए ताकि विवाद के समाधान हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

8.8 क्षेत्रीय स्तर चयन समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर मुख्यालय स्तर चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और केंद्रीय स्तर चयन समिति के विचार हेतु प्रविष्टियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।

8.9 प्रविष्टियों का अंतिम चयन केन्द्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय स्तर की चयन समिति द्वारा मुख्यालय स्तर चयन समिति से प्राप्त सिफारिशों के प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर बैठक आयोजित करने के द्वारा किया जाएगा।

****

9. चयन की अनुसूची :

चरण I : 15 सितंबर, 2017 तक स्थानीयसमाचार पत्रों में विज्ञापन।

चरण II : प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर, 2017.

चरण III : फील्ड कार्यालयों द्वारा 27 अक्तूबर, 2017 तक प्रविष्टियों की शॉर्ट लिस्टिंग।

चरण IV : नवंबर, 2017 के प्रथम सप्ताह में क्षेत्रीय स्तर चयन समिति की बैठक का आयोजन और 10 नवंबर, 2017 तक मुख्यालय स्तर चयन समिति को सिफारिशें भेजना।

चरण V : 13 नवंबर, 2017 तक मुख्यालय स्तर चयन समिति का आयोजन।

चरण VI : 17 नवंबर, 2017 तक केंद्रीय स्तर चयन समिति का आयोजन।

चरण VII : हस्तशिल्प सप्ताह (8 से 15 दिसंबर) के दौरान पुरस्कार समारोह।

Awards Schemes for Handicrafts Artisans

1. Background and objective:

The handicrafts award namely Shilp Guru Award, National Award and National Merit Certificates are amongst the highest award for the handicrafts artisans of the country.

The objective is to give recognition for encouragement to outstanding craftspersons to maintain excellence in craftsmanship and keeping alive our old tradition.

2. Category of Awards :

a. Shilp Guru
b. National Award
c. National Merit Certificate
d. Design Innovation award

3.1 Shilp Guru :

Shilp Guru Award was instituted in the year 2002 on the occassion of Golden Jubilee year of handicrafts resurgence in India and would be given to 10 master craftspersons for body of work to promote the crafts, dissemination of the same and his/her skill level. This highest award of the handicrafts would be conferred without any segmentation at this level either crafts wise or on any other criteria.

3.2 Eligibility of Shilp Guru Award :

Any master craftsperson residing in India who is either a National Awardee or a State Awardee of exceptional standing or master craftsperson of extraordinary skills and having immense contribution to handicrafts sector and who is not below the **age of 50 years with 20 years of experience as on 31st December of previous year in the field is eligible for the Award** provided he/she has contributed significantly to promote the crafts dissemination for the same and his/her skill level.

3.3 Award Contents :

Each Award consists of cash prize of Rs.2.00 lakhs, one mounted gold coin, one shawl, a certificate and one Tamrapatra.

4.1 **National Award** :

National Award was instituted in the year 1965 and would be conferred on 33 craftsperson in recognition of their outstanding contribution towards development of crafts. It would also be given for body of work of the master craftsperson to promote the crafts, dissemination of the same and his/her skill level.

Out of these 33 National Awards, 05 National Awards would be conferred to women artisans, 03 National Awards would be conferred for design innovation on co-creation basis and 05 National Awards would be conferred for promotion and development of endangered crafts.

4.2 Rest 20 National Awards would be earmakred for following crafts:

Sl. No.	**Craft**	**No. of awards**
1	Metal ware including bidri work	01
2	Wood work	01
3	Cane & Bamboo and other forest based products	01
4	Stone ware	01
5	Pottery, ceramics and terracotta	01
6	Paintings	01
7	Jewellery and precious metal work	01
8	Paper machie crafts and paper craft	01
9	Leather craft	01
10	Textiles including hand block printing, tie and dye, appliqué work, quilting and patch work	01
11	Embroideries and zari/zardozi work	01
12	Lace work, crocheted goods and braiding	01
13	Handmade carpets/floor coverings	01
14	Rugs and durries	01
15	Glass work	01
16	Toys and dolls, puppet, games and kites	01
17	Bone, conch and shell	01
18	Musical instruments	01
19	Miscellaneous crafts	02
	Total	**20**

4.2.1 **Eligibility of National Award for crafts** :

A Master craftperson residing in India and who is above the age of 30 years and is having 10 years' experience in the field of handicrafts as on 31st December, of previous year.

4.2.2 **Award Contents :**

Each Award consists of cash prize of Rs.1.00 lakh, one shawl, a certificate and an Tamrapatra.

4.3 **Design Innovation Award**

This award would be given on co-creation basis to both the designer and artisan. The age criteria and experience of the artisan would remain the same as for National Award i.e. 30 years and above, having 10 years' experience.

4.3.1 **Award contents**

The Design innovation award will be of Rs.10.00 lakhs, Rs.8.00 lakhs and Rs.6.00 lakhs for 1st, 2nd and 03rd category to be shared equally between the designer and the artisan respectively.

5.1 **National Merit Certificate** :

National Merit Certificate award was instituted in the year 1967 and would be conferred on 40 Master craftspersons in recognition of their body of work, work undertaken to promote the crafts, dissemination of the same and his/her skill level.

5.2 **Eligibility of National Merit Certificate Award** :

Master Craftperson residing in India and who is above the age of 30 years and is having 10 years experience in the field of handicrafts as on 31st December, of previous year.

5.3 **Award Contents :**

Each award consists of cash prize of Rs.75,000/- and a Certificate.

Note: A Craftsperson shall be eligible for a National Award or National Merit Certificate in a given craft only once in his/her life time. However, a National Merit Certificate holder will be eligible for the National Award.

6. **Selection Procedure:**

The selection procedure will be through a 3 tier Committee system.

6.1 At first stage, selection would be at the Regional Level Selection Committee. The composition of the Committee is as under:

1. Director Handicrafts / Cottage Industries of the state of Concerned Region- Chairman
2. Regional Director, O/o. DC(H) -
Convener 3. Eminent craft Experts from NIFT -
Member
4. Eminent craft Expert from NID –
Member

6.2 The second stage of the selection would be at Head Quarter Level Selection Committee. The composition of the Committee is as under:

1.	Development Commissioner (Handicrafts)	-	Chairman
2.	ADC(HC)/Director/Sr. Director(Handicrafts) or equivalent	-	Convener
3.	Representative from NID	-	Member
4.	Representative from NIFT	-	Member
5.	Sr. Director, NHHM	-	Member

6.3 The third and final level selection committee would be Central Level Selection Committee. The composition of the Committee is as under:

1.	Secretary (Textiles)	-	Chairman
2.	Development Commissioner (Handicrafts)	-	Convener
3.	Development Commissioner (Handlooms)	-	Member
4.	Managing Director, CCIC, New Delhi	-	Member
5.	Managing Director, HHEC, New Delhi	-	Member
6.	Director General, NIFT, New Delhi	-	Member
7.	Three non-officials experts from Handicrafts sector	-	Member

7. Procedure for submission of entries:

7.1 An advertisement in the vernacular Newspapers of Craft concentrated area shall be published by giving two months' time to submit entries by the Crafts Persons/reputed organization. The craftsperson may submit their entries in their respective State in the office of the Directorate of Industries/ concerned Regional Offices/ HM&SECs of Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

7.2 All entries within this period will be submitted by the Master craftsperson along with the duly filled in Application in the prescribed Performa along with an affidavit stating the item being submitted has been prepared by him/ her together with another affidavit undertaking that he/she is submitting the entry at his/ her own risk and in case of damage, etc. during transportation of the entry due to unforeseen circumstances, the Central Government will not be liable to pay any compensation.

7.3 It has also been represented that the crafts persons are not able to afford the cost involved in creating the artefacts for the Awards because of getting their investment blocked for a long time. As a result, the best creations of craftsman are not coming for selection for the Award. It has, therefore, been decided that the selection at all the levels will permit marketing organizations, Public or Private (Corporations/Cooperatives/Private traders, exporters, boutiques, etc.) to sponsor entries. The Award shall be given to the craftsmen who have made the items.

A. All sponsored entries by the Central/State Corporation/Voluntary organizations working in the field will be sent to the respective Regional Level Selection Committee within stipulated time.

B. Reputed organizations viz. NHHM, CCIC, NCDPD, EPCH, CEPC, NIFT, NID, HHEC , Crafts Council of India and Central/State Handicrafts Corporations working in the field may also recommend the applicants for the selection of National Award and their recommendation will go to Regional Level Selection Committee but within the stipulated time.

8. Mode of Selection :

8.1 The offices namely HM&SECs, DICs, RD&TDCs and Regional Offices who are the first recipients of the applications and entries from the artisans contesting for the award, shall be responsible for thorough scrutiny of all documents submitted by the contestants for the award and will also exercise due diligence to physically verify the bonafides of the applicants.

8.2 The particulars of the applicants who are existing State Awardees or National Merit Certificate holders or who belong to the family of existing awardees need to be thoroughly checked, particularly for verifying whether the applicant possesses the required craft skill needed for producing the item he/she has submitted for award. This verification process shall be undertaken and completed well before the convening of the meetings of the respective Regional Level Selection Committee.

8.3 The respective Convener of Regional Level Selection Committees shall undertake and complete the short listing process within 15 days from the closing date of submission of entries and shall convene the Regional Level Selection Committee immediately so that their recommendation gets completed within 30 days.

8.4 The Regional Directors shall complete the work of documentation of all the entries electronically before sending to the Head Quarter Level Selection Committee.

8.5 The Regional Level Selection Committee will adopt a transparent and objective criteria to award the marks to each applicant. Reasons of recommendation and rejection must be mentioned against each applicant and to be made available in the public domain.

8.6 Immediately after the conclusion of short listing process by the respective Regional level Selection Committees, the Convener of these Committees namely the Regional Director of the Office of DC (Handicrafts) shall undertake another verification process in respect of only those applications/entries of the artisans which have been recommended by the respective Regional Level Selection Committee.

8.7 In case , any discrepancy comes to notice or a dispute arises during this verification process, the same shall be brought to the notice of the respective Regional level Selection Committee for appropriate decision in the matter/resolution of the dispute.

8.8 The Head quarter Level Section Committee meeting will be held within a period of one month from the date of receiving the recommendation of the Regional level Section Committee and will further short list the entries for the consideration of Central level Selection Committee.

8.9 The final selection of entries shall be made by the Central Level Selection Committee, constituted at the Central Level by holding a meeting within a period of fifteen days from the date of receiving the recommendation of the Head Quarter Level Selection Committee.

9. Schedule of Selection :

Stage-1	Advertisement in the Vernacular News papers by 15th September,2017
Stage-II	Last date of submission of entries by 13th October, 2017
Stage III	Short listing of entries by field offices by 27th October, 2017
Stage IV	Convening of Regional Level Selection Committee meeting in the first week of November, 2017 and sending their recommendation to Headquarter level Selection Committee by 10th November,2017
Stage V	Convening of Head Quarter Level Selection Committee Meeting by 13th November, 2017
Stage VI	Convening the Central Level Selection Committee Meeting by 17th November, 2017.
Stage VII	Award Ceremony during Handicrafts Week (8 to 15th December)